भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3341
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उपकरण विनिर्माण क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

3341. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उपकरण विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित पहल और प्रोत्साहन क्या हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के विस्तार को प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई योजना के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) घटक के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उत्पाद और प्रक्रिया विकास, उपकरणों के डिजाइन और विकास, बेहतर भंडारण, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग आदि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग आधारित अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निजी संगठनों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों, सार्वजनिक वित्त पोषित संगठनों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को नई तकनीकें हासिल करने और उपकरणों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को परियोजना निर्माण, क्रियान्वयन, ऋण तक पहुंच, मशीन/उपकरण निर्माताओं से संपर्क, स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण रखरखाव आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएस की योजनाओं के माध्यम से ऐसी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है, जो प्रकृति में मांग आधारित हैं और पूरे देश में लागू हैं। इसके अलावा, भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने घरेलू उद्योग को प्रदर्शित करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोगात्मक अवसर प्रदान करने के लिए 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह आयोजन वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, नवप्रवर्तकों, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान किए।

*****